संख्या–680 / 9–आ–2(आ0ब0)बोर्ड बैठक / 2001

प्रेषक,

संजय भुसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

आवास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2001

विषयः बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठकों को आयोजित किये जाने के संबंध में पूर्व में समय–समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–92(2) के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश देते हैः–

1. बोर्ड बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अवश्य आयोजित की जाय।

2. विधान मण्डल की बैठकों के दिन एवं सत्र के दौरान बोर्ड की तिथि निर्धारित न की जाय।

3. बोर्ड बैठक, बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही की जाय। परन्तु अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष अथवा शासन की अनुमति से आवास आयुक्त द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता की जा सकती है।

4. परिषद के सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि, समय व स्थान की सूचना कार्य सूची सहित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जाये।

5. कार्यसूची में अनुपूरक सामग्री सहित अधिकतम 50 मद ही रखे जायें अपरिहार्य कारणों से यदि अधिक मद बोर्ड के समक्ष लाये जाने हो तो पुनः बैठक की जा सकती है।

6. अनुपूरक कार्यसूची में मदों की संख्या मूल कार्यसूची की संख्या से किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।

7. बोर्ड के सभी सदस्यों सहित शासन को कम से कम 10 कार्य दिवस पूर्व एजेण्डा नोट उपलब्ध करा दिया जाना अनिवार्य है जिससे कि उसके समुचित परीक्षणोंपरान्त शासन से नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।

8. कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाला प्रस्ताव आवास आयुक्त, के अनुमोदन से अथवा अध्यक्ष एवं शासन के निर्देश पर ही सम्मिलित होगा। तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उससे संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं परिषद के सचिव के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।

9. बैठक में कोई ऐसा निर्णय पारित न किया जाय जो स्टैण्डिंग शासनादेशों के विरूद्व हो। बोर्ड केवल शासन से पुर्नविचार अथवा आवश्यक छूट हेतु अनुरोध/संस्तुति कर सकती है।समय–समय पर शासन से जारी शासनादेशों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना आवास आयुक्त का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

10. बोर्ड बैठक में केवल अधिकृत सदस्य ही भाग ले सकेगें, तथा प्रतिनिधि के रूप में अन्य किसी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु अधिनियम की व्यवस्थानुसार पदेन सदस्यों के प्रतिनिध बैठक में भाग ले सकेगे।

11. बोर्ड बैठक में यथा आवश्यक किसी विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य उपयोगी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में अध्यक्ष अथवा शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु उनको मताधिकार नहीं होगा।

12. बोर्ड बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या को सामान्य कोरम माना जायेगा प्रतिबंध यह रहेगा कि उसमें शासन का प्रतिनिध अवश्य सम्मिलित हो। बैठक में यह प्रयास किया जाय कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से हों परन्तु ऐसा न होने पर निर्णय बहुमत से लिया जायेगा। बराबर संख्या में मत होन की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तथा बैठक के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

13. प्रत्येक बोर्ड बैठक के अंत में आवास आयुक्त द्वारा बोर्ड की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया गया है तथा शासनादेशों के विपरीत कोई कार्य अथवा नियमित भर्ती एवं पद सृजन नहीं किया गया है।

14. बोर्ड बैठक के दौरान सदस्यों की उपस्थित तथा प्रारम्भ से अंत तक बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड परिषद के सचिव द्वारा रखा जायेगा तथा कार्यवृत्त अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत, तुरन्त निर्गत कर बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की जायेगी। यदि कार्यवृत्त में अंकित निर्णय के संबंध में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति होती है तो वह लिखित रूप से परिषद के सचिव को कार्यवृत्त निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अंदर निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने हेतु सूचित करेंगें। जिसको संज्ञान में लेते हुए परिषद के सचिव अगली बैठक में उसे पुनः प्रस्तुत करेगें तथा ऐसे निर्णयों का क्रियान्वयन अगली बैठक में निर्णय हो जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

15. बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किसी विषय पर, स्वतः निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने हेतु, गठित किसी समिति/अध्यक्ष/आवास आयुक्त अथवा किसी सदस्य को अधिकृत नहीं किया जायेगा। बल्कि उसकी संस्तुतियों को अंतिम निर्णय हेतु पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

16. यथा सम्भव परिचालन द्वारा किसी विषय पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया न अपनाई जाये परन्तु किसी महत्वपूर्ण प्रकरण पर अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो प्रस्ताव बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाय तथा पुष्टि आगामी बैठक में अवश्य कराई जाये।

17. प्रत्येक बोर्ड बैठक में निम्न बिन्दुओं पर आवास आयुक्त के द्वारा सूचना अवश्य प्रस्तुत की जाय।

(क) परिषद की आय बढ़ाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण।

(ख) परिषद सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण।

(ग) परिषद की कितनी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण।

(घ) महत्वपूर्ण शासनादेंशों के अनुपालन की स्थिति।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्याः680(1)/9–आ–2(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आवास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव।

2. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास विभाग।

3. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।

4. गार्ड फाईल। आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।